

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री योगेश रावल पुत्र श्री मोहनलाल रावल
जाति रावलसरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौहीमवासी कालन्दी तहसील सिरौही
जिला सिरौही।

कस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 30 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
10.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 28.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांत द्वारा अध्यक्ष जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति के समक्ष एक अपील दिनांक 18.09.2019 को प्रस्तुत की गई थी उसके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपी से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 28.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांत द्वारा अध्यक्ष जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति के समक्ष एक अपील दिनांक 18.09.2019 को प्रस्तुत की गई थी उसके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपी से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही



261-62
13/8/20